देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ...126...../भू अ० दिनांक : 22/01/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—नावाडीह, थाना—पालोजोरी, थाना सं०—346, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **घीया मोड़ (सारठ—बस्ती—पालोजोरी पथ पर)—मधुपुर—बसबुटिया मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—नावाडीह, थाना—पालोजोरी, थाना सं०—346, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.54** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	245	रैयती	धानी—3	0.01	कृष्णा प्र० साह वो बलराम साह वो महेन्द्र साह वो देवेन्द्र साह वो योगेन्द्र साह वो दशरथ साह पे० रामशरण साह वो दुखनी देवी पति शिवनारायण साह। अंश समान सा० देह।	कपसा, 353	परनगड़िया, 348	कपसा, 353 एवं नगरिया 351	अर्जित रकवा का अंश।
2	12	65	रैयती	बाड़ी—2	0.03	जयराम साह पे० धनराज साह। सा० देह।				
3	15	336	रैयती	बाड़ी—2	0.02	रामचन्द्र साह वो उपेन्द्र साह वो मुरारी साह वो पे० परशुराम साह वो सुलोचना देवी पति इन्द्रदेव साह वो भोला साह पे० मोहन साह वो कमलकांत साह माता विलासमणी हलुवाईन वो गेन्दा देवी पति गौरी शंकर साह। अंश समान सा० देह।				
4	15	241	रैयती	बाड़ी—2	0.09	तथैव।				
5	15	246	रैयती	धानी—3	0.09	तथैव।				
6	16	54	रैयती	बाड़ी—2	0.01	सत्यनारायण राय पे० मनभरण राय वो रघुनाथ राय वो भगवतिया देवी पति स्व० धोधो राय। अंश सामान सा० देह।				
7	19	244	रैयती	बाड़ी—2	0.07	रंजीत साह वो संजीत साह पे० भोला साह वो वासकी साह वो रामलाल साह पे० भुखल साह वो पार्वती सहूवाईन (ज०रै०)। अंश समान सा० देह।				
8	25	70	रैयती	बाड़ी—1	0.02	सचिदानन्द साह वो दीपनारायण साह वो प्रवीण कुमार साह पे० अम्बिका प्र० साह वो अनिता देवी पति स्व० मिथलेश प्र० साह वो सविता देवी पति स्व० कटि प्र० साह वो आदेश कुमार वो दिशा कुमारी पे० स्व० ध्रुव कुमार साह।				
9	25	52	रैयती	बाड़ी—2	0.18	तथैव।				
10	27	330	रैयती	धानी—2	0.02	सत्यनारायण राय पे० मनभरण राय वो रघुनाथ				

						राय पे० धनराज राय वो भगवतिया देवी पति धोधो राय। अंश समान सा० देह।					
				कुल रकवा–	**0.54**						

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 14/01/20 | अपर समाहर्त्ता देवघर 17/01/2020 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 17/1/2020

ज्ञापांक 126 / भू अ०, देवघर, दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 14/01/20 | अपर समाहर्त्ता देवघर 17/01/2020 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 17/1/2020